

दिनांक आदेश
या कार्यवाही

आदेश विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

18/11

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा दीर्घ/
कार्य में धरत रहने के कारण कार्य
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
9-10-25 को पेश हो।

09/10/25

पत्रावली पेश। वकील पडाकार
इपारखिया प्रार्थना पत्र अवमानना
से संबंधित मूल प्रकरण का
निस्तारण हो चुका है जिससे
पत्रावली अवमानना को आगे
चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अवमानना
को इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है पत्रावली नम्बर से कम
दाखिल दफ्तर हो

मह निर्णय आज दिनांक
09/10/25 को सुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर